

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 748वीं बैठक दिनांक 03/05/2024 को डॉ. जय प्रकाश शुक्ला को-चेयरमेन की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य |
2. प्रो. (डॉ.) रुबीना चौधरी, सदस्य |
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य |
4. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य |
5. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव |

सभी सदस्यों द्वारा अक्षयक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No. P-2/523/24 Shri Raghvendra, Owner, Village-Jaraulli, Rampura Kalan, Tehsil-Sabalgarh , District-Morena, (M.P.)- 476229 Prior Environment Clearance for Raamapurakalaan Soil Quarry with a Production Capacity of 2,500 Cu.mt/year Soil at area is 1.00 (Private Land) in Khasra No. - 1609, 1610, Village-Raamapurakalaan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M.P.).

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राघवेन्द्र एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Raghvendra SinghS/o Shri Rampa Singh, R/0- Village- Jarauli Rampurkalan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M.P.).	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1609, 1610 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village – Rampurkalan, Tehsil - Sabalgarh, District- Morena(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 35 दिनांक 12/01/2023 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिट्टी – 2500घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 2500 घनमीटर/वर्षहै।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 402 दिनांक 15/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृतनहीं है, इस प्रकार कुल रकबा 1.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी— 2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 402 दिनांक 15/04/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 402 दिनांक 15/04/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट 302 मीटर की दूरी पर हैं एवं शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान नहीं है। एवं जलीय निकाय/नदी 475 मीटर की दूरी पर है एवं तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रामपुरकलौ जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 04/11/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावि स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कई पेड़ उपस्थित हैं जो कि गैर—खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़े जायेंगे।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	पूर्व दिशा— कच्चा रोड लगभग 15 मीटर दूरी पर हैं।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र निजी भूमि पर स्थित है जो सहमति प्राप्त है तथा लीज क्षेत्र में पेड़ लगे हैं जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इन पेड़ों को काटा नहीं जावेगा तथा इस क्षेत्र को गैर—खनन् क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र से 30 मीटर की दूरी पर उत्तर—पश्चिम दिशा में 30 मीटर की दूरी पर घर है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि घर से 70 मीटर का क्षेत्र नॉन मार्झिनिंग क्षेत्र के रूप में छोड़ा जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लीज एरिया में चिमनी प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वार्ड-2500 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.41 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.20 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम रामपुरकलां के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू, आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

- 2. Case No. P-2/524/24 Shri Jayveer Gurjar, Owner, 150 Galla Mandi gat choraha, Naina Garh Road, Morena, Distt.- Morena, (M.P.) - 476001. Prior Environment Clearance for Rancholi Flage Stone Quarry with a Production Capacity of 10,000 Cu.mt/year Flage Stone at area is 2.090 ha., (Private Land) in at khasra no.-62, Village- Rancholi, Tehsil- Morena, District - Morena(M.P.). B2 Cat. (DEIAA Old EC)**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री जयवीर सिंह गुर्जर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Jayveer Singh Gurjar S/o Late Shri Laxman Singh Gurjar R/o- Nainagarh Road, Morena, District – Morena (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	62 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.090 hectare.
स्थल	Village – Rancholi, Tehsil - Morena, District - Morena (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 06 दिनांक 22/03/2016 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	पुनर्मूल्यांकन प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 03 दिनांक 30/05/2016 के द्वारा फलैग स्टोन- 10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 10,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 10,000 घनमीटर / वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 18/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 2,090 हैं। होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 18/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1052 दिनांक 18/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर,	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रंचोली जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 03 दिनांक 02/10/2015 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावि खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 10 के सरल क्रमांक- 02 पर दर्ज है ।

यह डिया का प्रकरण है किंतु परियोजना प्रस्तावक की मृत्यु होने के कारण पुत्र के नाम लीज ट्रांसफर हुई है अतःइस प्रकरण को नवीन मानते हुये एप्राईजल किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 40 प्रतिशत फेंसिंग है तथा आसपास की खदानों में ई.सी. में दी गई शर्तों अनुसार कोई पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हुआ है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लैग स्टौन—10,000 घनमीटर/वर्ष हैं।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 8.54 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.15 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 60,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम रंचोली के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी ।	60,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2510 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	610
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1500
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

3. **Case No. P-2/525/24 Shri Ved Goel, R/o- B.H.-13, Deendayal Nagar Gwalior, District- Gwalior, (M.P.) 474004. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone, Lease Area – 1.0 Ha., Khasra No. - 132, 133, Proposed Production Capacity – 19,000 Cum/Year. Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.).**

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Ved Goel एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री रामराधव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आई.एन.सी., वडोदरा (गुजरात) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Ved Goel, R/o- B.H.-13, Deendayal Nagar Gwalior, District- Gwalior, (M.P.) 474004. Prior Environment Clearance for Rafadpur Stone, Lease Area – 1.0 Ha., Khasra No. - 132, 133, Proposed Production Capacity – 19,000 Cum/Year. Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/ 461156/2023.</u>	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 132, 133,	एरिया— 1.00 ha., शासकीय भूमि

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

परियोजना संलिपि	Village – Rafadpur, Tehsil – Dabra, District – Gwalior (M.P.).
Activity	It is a stone quarry with a production capacity of 19,000 cubic meter per year Gitti having a lease area of 1.00 hectares, previously EC was issued by DEIAA Gwalior at Khasra No. – 132, 133, Village Rafadpur, Tehsil Dabra, District Gwalior (M.P.). Now we are applying for fresh EC in MP-SEIAA as per the Honourable NGT OA 142 of 2022 dtd 07-12-2022.
ToR Status	Proposed ToR Submitted.
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. . दिनांक 09 / 03 / 2018.
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	N/A.
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया कार्यालय जिला- ग्वालियर के पत्र क्रमांक 295 दिनांक 05 / 10 / 2018 के द्वारा स्टोन – 30,000 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 19,000 घनमीटर/वर्ष।
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 29 अन्य खदान स्वीकृत हैं, जिनको मिलाकर कुल रकबा 54.248 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06 / 12 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – ग्वालियर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1840 दिनांक 06 / 12 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद/नगर पालिका निगम द्वारा जारी अनापत्ति पत्र	ग्राम पंचायत – लदेरा जिला – ग्वालियर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्ताव क्र. 11 दिनांक 27 / 01 / 2008 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
जल/वायु सम्मति वैद्यता	Date of consent issued 03/12/2021, Validity of consent (Valid up to) 13/06/2025.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-35 के सरल क्रमांक-71 पर दर्ज है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र में निम्न संवेदनशीलतायें पाई गई, जिनके संबंध में परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि इनके संबंध में पर्यावरणीय प्रबंधन योजना ईआईए के साथ प्रस्तुत किया जाये :—

गूगल इमेज के अनुसार	उत्तर दिशा में – पक्का रोड 120 मीटर कि दुरी पर है
क्रेशर की स्थिति :	क्रेशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में 5 पेड़ हैं जिसकी जानकारी फाइनल ई आई ए के समय प्रस्तुत किया जायेगा
ब्लास्टिंग	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह आश्वासन दिलाया गया है फाइनल ई आई ए में रॉक ब्रेकर प्रस्तावित माइनिंग प्लान लगाया जावेगा।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों विशिष्ट शर्तों के साथ निम्न टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

1. Copy of Form-I
2. Land status/P2:
3. Area & Location with Khasra no:
4. Current Ekal Praman Patra
5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
7. OB Dump and waste management with facts and figures:
8. Top soil management with soil profile:
9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
12. Water requirement (KLD):
13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
 - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
 - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
 - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

- GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
 - Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
 - Verifiable proof of CER
17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
18. Carbon footprint.
19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
20. प्रश्नाधीन खदान में यदि पेड़ लगे होतो अतः उनकी प्रजाति, ऊचाई, गर्थ के जियोटेग फोटोग्राफ एवं यदि उनमें से कोई पेड़ काटा जाना प्रस्तावित हो तो उन्हीं प्रजाति के 10 गुना अतिरिक्त पेड़ लगाने का प्रस्ताव पौधा रोपण स्कीम में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
21. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं माननीय एनजीटी के उक्त स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
22. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
23. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
24. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
25. यदि कृषि भूमि लीज क्षेत्र से समीप हों तो 25 मी. का सेटबेक छोड़ते हुये सरफेस मेप में दर्शाये।
26. स्थानीय स्तर पर कार्बन के दृष्टभाव को रोकने के लिये एक व्यवसायिक व्यवस्था के अंतर्गत 500 मीटर से 1.0 किलोमीटर के अंदर किसानों द्वारा लगाये गये बढ़े पेड़ों को चिन्हित कर इनके द्वारा अवशोषित कार्बन डाइआक्साइड के एवज् में किसानों को भुगतान किया जावेगा, कार्बन फुटप्रिन्ट हेतु किसानों को देय राशि ई.एम.पी. में शामिल किया जाये।
27. सी.ई.आर. योजना के अंतर्गत श्री—अन्न एवं जैविक खाद निर्माण, उत्पादन, उपयोग, मार्केटिंग, प्रोत्साहन आदि प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक 6—6 माह में कृषि विज्ञान केन्द्र के माध्यम से ग्राम में करने का प्रस्ताव बजट सहित प्रस्तुत करें।
28. अनुमोदित मार्झिनिंग प्लान के अनुसार खनन किये गये पिट्स में बैंचेस की स्थिति।
29. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

30. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान एवं कुमुलेटिव इम्पेक्ट स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
31. यदि प्रकरण पेसा (PESA) ग्राम में स्थित है तो पेसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
32. यदि खदान कि भूमि पौधारोपण के लिये अनुकूल नहीं है अतः अन्य वैकल्पिक स्थानों में पौधारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
33. आंवटिट खदान क्षेत्र यदि पूर्ण रूप से पथरीला हो तो प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वार्डल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा।
34. लीज क्षेत्र के ढलान को ध्यान में रखते हुये सेटलिंग टैंक का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।
35. खदान क्षेत्र के अंदर यदि क्षेत्र प्लांट प्रस्तावित हो तो इसके प्रभाव का आकलन एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट में वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना संबंधी विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
36. प्रस्तावित चारागाह का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
37. यदि लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्रस्तावित हो तो फॉगिंग मशीन का प्रस्ताव ईएमपी में बजट के साथ प्रस्तुत करें।
38. खदान क्षेत्र के आसपास स्थित हुये जीपीएस कोर्डिनेट्स के साथ भू-जल स्तर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
39. लीज एरिया खुदा हुआ हो तो माईन रिस्टोरेशन कार्य का प्रस्ताव ईएमपी में शामिल करते हुये ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
40. सी.ई.आर. का ऑकलन स्थानीय स्तर पर किया जावे इस हेतु पंच, सरपंच, ग्राम सहायक, पटवारी तथा ए.न.एम. आदि से चर्चा की जावे।
41. प्रस्तावित खदान के आस पास स्थित खदानों के नाम सहित विवरण प्रस्तुत करें।
42. यदि प्रस्तावित खनन क्षेत्र चारागाह के अन्तर्गत है तो चारागाह हेतु स्थान निर्धारण कर प्रथम वर्ष में विकास कर 5 वर्ष तक रख-रखाव की राशि संबंधित ग्राम पंचायत को प्रदान करने का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms

4. **Case No. 9952/23 Shri Vivek Dubey, Partner, M/s STONE WORKS MINING, Ram Manohar Lohiya Ward Nadipur, Front of Pali Threshers Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Dolomite Mine in an area of 2.80 ha. (1,00,385 TPA cum per annum) (Khasra No. 297) Village: Malhan, Tehsil: Badwara, District: Katni, (M.P.) EIA**

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विवके दुबे ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P and M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Vivek Dubey, Partner, M/s STONE WORKS MINING, Ram Manohar Lohiya Ward Nadipur, Front of Pali Threshers Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	297 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लैंड भू—स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त है)	2.80 hectare.
स्थल	Village: Malhan, Tehsil: Badwara, District: Katni, (M.P.)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 5421 दिनांक 22/04/2 द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 653वीं बैठक दिनांक 15/06/23 को अनुशंसित, सेक / सिया के पत्र क्रमांक 846 दिनांक 10/07/23 के द्वारा Dolomite-1,00,385 TPA के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-1,00,385 TPA हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Dolomite-1,00,385 TPA है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 221 दिनांक 08/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 24.21 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 221 दिनांक 08/02/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 221 दिनांक 08/02/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बरगां नं.-2 जिला कटनी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-13 दिनांक 04/10/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-65 के सरल क्रमांक-6 पर दर्ज है।

माइनिंग लीज एरिया निजी भूमि पर है तथा सहमति प्राप्त है। अतः एल0आर0 सी0/एम0एम0आर0 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित लीज एरिया में 29 पेड़ लगे हैं, जिनमें से परियोजना प्रस्तावक के अनुसार 23 पेड़ों को काटा जावेगा और उनके एवज में 230 अतिरिक्त पेड़ लगाये जावेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आसपास की खदानों में ई.सी. में दी गई शर्तों अनुसार कोई पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हुआ है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता डोलोमाइट— 1,00,385 TPA cum per annum
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.29 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.08 लाख प्रति वर्ष।
- सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 03.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S. No.	Activities	Cost (Rs.)
1.	Installation of solar operated hand Pump with overhead tank in village Malhan	150000
2.	Infrastructure Development	
	Construction of village road in village Malhan	150000
Total		3,00,000

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 4200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	No. of Plants
1st year	In barrier Zone, within lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	1500
1st year	Along transport route	Neem, Peepal, Karanj, Bargad	500
4th to CP	Backfilled Area	Siras Kala, Siras Safed, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, and other local species	400
2nd-4th year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga, Amla, Sita Fal, Anar and local species	1800
Total No. of Plants			4200

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

5. **Case No. P-2/530/24 SHRI BALAJI STONE CRUSHER AND EARTH MOVERS, Owner, Village- Harsola, Tehsil- Mahow, District- Indore (M.P). Prior Environment Clearance for Basalt Stone in an area of 3.50 ha. (Basalt Stone – 22800 M3/Year) (Khasra No. 424), Vill. Ambachandan, Tehsil – Mhow, Distt. Indore (M.P.)**

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, |

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	SHRI BALAJI STONE CRUSHER AND EARTH MOVERS, Owner , Village- Harsola, Tehsil- Mahow, District- Indore (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	424 (निजी भूमि)	3.50 hectare.
स्थल	Vill. Ambachandan, Tehsil – Mhow, Distt. Indore	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के पत्र क्रमांक 397 दिनांक 01 / 5 / 2018 के द्वारा स्वीकृत	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Basalt Stone – 22800 Cubic meter per years हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Basalt Stone – 22800 Cubic meter per years.
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 995 दिनांक 04/5/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में दृ कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 995 दिनांक 04/5/22 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सैंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 995 दिनांक 04/5/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत आम्बाचंदन जिला इंदौर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 13/12/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला इंदौर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 995 दिनांक 04/5/22 के अनुसार उक्त खनिपट्टा संचालन हो जाने के उपरांत जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में उत्खनिपट्टे को सम्मिलित कर लिया जावेगा।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत खदान क्षेत्र की के.एम.एल. ईमेज/कोर्डिनेट्स, माइनिंग प्लान मे दिये गये कोर्डिनेट्स से भिन्न है, अतः समिति की अनुशंसा है कि परियोजना प्रस्तावक इस खदान के को—आर्डिनेट संबंधित खनिज अधिकारी से प्रमाणीकृत कराकर समिति के समक्ष पुनः ऑन—लाईन (ए.डी.एस. के पश्चात) प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में आगामी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

- 6. Case No. P-2/492 Shri AJAY GOHIL, Owner, S/o Prewm Narayan Gohil, Ward number 4, maupatharai road, colected Colony, Raisen, Raisen City, Madhya Pradesh- 464551. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 1-00 ha. (Murrum Quarry -7800 Cum/Year) (Khasra No. 05), Village- Khairabad, Tehsil-Raisen, District-Raisen (M.P.). B-2**

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अजय गोहिल, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Oceao Enviro Management Solutions (India) Pvt. Ltd.** उपरिथित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri AJAY GOHIL, Owner, S/o Prewm Narayan Gohil, Ward number 4, maupatharai road, colected Colony, Raisen, Raisen City, Madhya Pradesh- 464551	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	05 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village- Khairabad, Tehsil-Raisen, District-Raisen (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 41 दिनांक 06 / 01 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Murrum Quarry - 7800 cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Murrum Quarry - 7800 cubic meter per year है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 25 / 1 / 24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2. श्रेणी का है ।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 25 / 1 / 24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 25 / 1 / 24 अनुसार लगभग 500 मीटर की परिधि रीछन नदी है ।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	नगर पालिका परिषद रायसेन के पत्र अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से नगर पालिका परिषद को कोई आपत्ति नहीं है ।	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2128 दिनांक 25/1/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।
----------------------------------	---

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में पेड़ लगे हैं तथा पूर्व दिशा में मकान है, जिसमें संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र का वह हिस्सा जहाँ पेड़ लगे हैं तथा मकान है, उसे नॉन माईनिंग क्षेत्र (0.35 हे) छोड़ा गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम— 7800 Cum/Year
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 20.00 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 0.20 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु0. में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय माध्यमिक विद्यालय, खैराबाद के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशी जमा कराई जाएगी	
उपयुक्त लिखित धनराशि प्रस्तावित परियोजना से संबंधित गावं के पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के 3 माह के भीतर जमाकर इसकी सूचना माईनिंग आफिसर को दी जाएगी	25,000
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	खमेर, सागौन, कैसिया, सेमिया एवं सीताफल हर 4 पेड़ के बीच में एक	400

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर)	नीम, करंज, बांस, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय (ट्री-गार्डकेसाथ)	170
3	गांव में वितरण	नींबू, अमरुद, आम, सहजन, अंजन, सीताफल एवं अशोक आदि स्थानीय पोथे	630
कुल			1200

अनुशंसा- प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

7. Case No. 9947/2024 Shri Om Prakash Rai, Owner, M/S VIJAY & COMPANY, Rai Bhawan, Katni Road P.oO.- Maihar, District- Satna, Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.962 ha. (1,15,026 cum per annum) (Khasra No. 904, 905) Village- Bathia, Tehsil- Maihar, District- Satna (M.P.) EIA

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री ओम प्रकाश राय, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संजय सिंह, मेसर्स P & M Solutions, Noida (U.P.) उपस्थित हुए उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Om Prakash Rai, Owner, M/S VIJAY & COMPANY, Rai Bhawan, Katni Road P.oO.- Maihar, District- Satna, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	904, 905 (निजी-नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.962 hectare.
स्थल	Village- Bathia, Tehsil- Maihar, District- Satna (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 932 दिनांक 05/05/22 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
टॉर	सेक की 652वीं बैठक दिनांक 14/06/23 को अनुशंसित, सेक/सिया के पत्र क्रमांक 882 दिनांक 13/07/23 के द्वारा पत्थर-1,15,026 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई।	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

		है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,15,026 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—1,15,026 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना सतना के पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 18.953 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना सतना के पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 06/06/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना सतना के पत्र क्रमांक 1155 दिनांक 06/06/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत बठिया जिला सतना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—4 दिनांक 30/11/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।	
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवंटित खनन् क्षेत्र में पेड़ हैं।	
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सतना के पत्र क्रमांक 857 दिनांक 01/05/23 अनुसार उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।	

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माइनिंग लीज एरिया निजी भूमि पर है तथा सहमति प्राप्त है। अतः एल0आर0 सी0/एम0एम0आर0 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि माइनिंग लीज एरिया में ब्लास्टिंग का कार्य किया जावेगा तथा आवंटित खनन क्षेत्र में 04 पेड़ हैं जिनमें से कोई पेड़ नहीं काटा जायेगा। आसपास की खदानों में ई.सी. में दी गई शर्तों अनुसार कोई पर्यावरणीय कार्य परिलक्षित नहीं हुआ है।

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन— 1,15,026 cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 15.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 05.81 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

S. No.	Activities	Cost (Rs.)
1.	Health Medical Health Checking Camps in Bathia village (2 camps per year= @Rs. 15,000 per camp) & Provision of Medicines in Sub-Health Centre (PHSC)	100000
2.	Installation of solar operated hand Pump with overhead tank in village Bathia	100000
Total		200000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 5,500 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

Plant Species for Mine Area, Transportation Road And Village Distribution			
Phase	Location	Name of Tree/shrub/ Herbs	No. of Plants
1st year	In barrier Zone, within lease area	Neem, Jungle Jalebi, Siras Kala, Karanj, Chirol, Khamer, Sissoo, Siris Safed, Pipal, Sangwan, Arjun, Mahua, Bel and other local species	2000
1st year	Along transport route (1 meter height plant with tree guard from mine to Bathiya road)	Neem, Peepal, Karanj, Bargad	1000
2nd-4th year	Distribution of sapling to local villagers	Guava, Mango, Kathal, Nimbu, Munga, Amla, Sitafal, Anar and local species	2500

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

Total No. of Plants

5500

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

8. **Case No. P-2/526/24 Shri Vijay Chaturvedi, Owner, Choube Mohalla, Rampurkalan, District-Morena (M.P.)- 476229, Prior Environment Clearance for Rampur Kalan Soil Quarry with a Production Capacity of 3,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.31 (Private Land) in Khasra No. - 1001/1, 1132, Vill- RaamapuraKalan, Th.-Sabalgarh, District- Morena (M.P.). B2 Cat.**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Vijay Chaturvedi, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉन्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा.) लि. नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Vijay Chaturvedi, Owner, Choube Mohalla, Rampurkalan, District-Morena (M.P.)- 476229, Prior Environment Clearance for Rampur Kalan Soil Quarry with a Production Capacity of 3,000 Cu.mt/year Soil at area is 1.31 (Private Land) in Khasra No. - 1001/1, 1132, Village-Raamapura Kalan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M.P.). <u>SIA/MP/MIN/462592/2024.</u>		
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.— 1001/1,1132,	एरिया— 1.31 ha.,	निजी भूमि
परियोजना स्थल	Village- Raamapura Kalan, Tehsil- Sabalgarh, District- Morena (M.P.).		
सैंधातिक सहमति	पत्र क्र. 879 दिनांक 04/08/2022.		
Description of Project	Soil mine quarry.		
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed.		
जल/वायु सम्मति स्थिति	Will take after getting EC.		
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।		
उत्पादन क्षमता	स्वार्डल — 3,000 घन मी/वर्ष।		
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नहीं हैं,		

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.31 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/	कार्या0. ग्राम पंचायत—रामपुर कलां, जिला – मुरैना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 15/09/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted - कार्यालय ग्राम पंचायत – रामपुर कलां, जिला – मुरैना द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र0. 03 दिनांक 15/09/2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	उत्तर दिशा—.पक्का रोड 465 मी., उत्तर पश्चिम में 280 मी. पर शेड/बेयर हाऊस
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्र0. 1318 दिनांक 23/12/2022 अनुसार अवगत कराया कि इस खदान का विवरण जिले नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र दो भागों में है, जिसमें चिमनी स्थापित है तथा कुछ मकान भी है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चिमनी पुरानी है, जिसका उपयोग नहीं किया जावेगा। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्न जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- (1) मकानों के संदर्भ में सेटबैक छोड़ते हुए पुनर्नीक्षित सरफेस मेप।
- (2) कार्बन सिक्वेट्रेशन का रिवाईज प्लान
- (3) ई.एम.पी. का रिवाईज प्लान
- (4) चिमनी का विवरण, ईट बनाने की तकनीकी, ईधन की मात्रा/ ईधन का प्रकार, रॉख प्रबंधन, इंमीशन कंट्रोल आदि की जानकारी।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

- 9. Case No. P-2/490 Shri Vikram guru , M/s VIRAT CONSTRUCTION COMPANY, R/o- Bunglow no.-3232 Rameshwar residency sagar Dist-Sagar (M.P.) Prior Environment Clearance for Murrum Mine in an area of 2.00 ha. (6,000cum per annum) (Khasra No. 20/1) Village: Bararu, Tehsil: Sagar, District: Sagar, State (M.P.). B-2**

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री विक्रम गुरु एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्ण चंद्र पाण्डा, मेसर्स ओशियो इंवायरो मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स (इं.) प्रा.लि., गाजियाबाद, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता		Shri Shri Vikram guru , M/s VIRAT CONSTRUCTION COMPANY, R/o-Bunglow no.-3232 Rameshwar residency sagar Dist-Sagar (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	20/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड) चरनोई	2.00 hectare.
स्थल	Village: Bararu, Tehsil: Sagar, District: Sagar, State (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 1446 दिनांक 22/09/23 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-6,000 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Murrum-6,000 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 14 दिनांक 03/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 14 दिनांक 03/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 14 दिनांक 03/01/24 अनुसार 550 मीटर की परिधि में पक्का रास्ता है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है।	
ग्राम सभा / ग्राम	ग्राम पंचायत बरारू जिला सागर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 10/07/23	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

पंचायत की अनापत्ति	अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 108 दिनांक 25/01/24 अनुसार उक्त उत्थनिपट्टा को आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।</p>

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि यह प्रकरण मुरम का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। आवंटित खनन् क्षेत्र में उत्तर दिशा में 450 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर-पश्चिम दिशा में 50 मीटर की दूरी पर एक रेस्ट शोल्टर तथा 280 मीटर पर शेड है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेंडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरम—6,000cum per annum
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 2.95 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 0.29 लाख प्रति वर्ष।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.20 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
अधोसंरचना विकास के लिए प्राथमिक शाला, बरारू के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धन राशि जमा कराई जाएगी।	20,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफलहर 4	800

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

		पेड़केबीचमेंएक	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	कलासिरस, नीम, शीशम (सिस्स), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	200
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	1400
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोर्डाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

10. Case No. P-2/494 AMIT DUBEY, Owner Chorawar stone quarry at Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, District - Vidisha, State - Madhya Pradesh. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 3-00 ha. (Crusher Stone – 7125 Cum/Year) (Khasra No. 47), Gram – Chorawar, Tehsil and Distt. Vidisha (M.P.) EIA.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन/पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर/ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024को परियोजना प्रस्तावक श्री अमित दुबे एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Zenith Environment Consultancy** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	AMIT DUBEY, Owner Chorawar stone quarry at Village - Chorawar, Tehsil - Basoda, District - Vidisha, State - Madhya Pradesh	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	47 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.00 hectare.
स्थल	ग्राम चौरावर तसहील विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के पत्र क्रमांक 5212 दिनांक 20/7/21 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन -7125 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार स्टोन . 7125 घनमीटर/वर्ष है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 5496 दिनांक 03/9/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 19.821 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 5496 दिनांक 03/9/21 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 5496 दिनांक 03/9/21 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/ नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चौरावर जिला विदिशा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 02/10/20 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला विदिशा के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 5499 दिनांक 03/9/21 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में इस प्रकरण को सेक की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/2022 द्वारा प्रकरण क्रमांक 9115/2022 के माध्यम से टॉर की अनुशंसा की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि यह प्रकरण स्टोन का है। आवंटित खनन् क्षेत्र की गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर दिशा में लीज की सीमा पर अस्थाई कब्जा है, खदान के पश्चिम दिशा में 490 मीटर पर प्राकृतिक नाला है तथा उत्तर—पश्चिम दिशा में 720 मीटर पर नदी है ।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 7,125 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 12.08लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 3.79लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माइन आधारित केशर प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
चौरावर के प्राथमिक शाला में मरम्मत हेतु आर्थिक सहायता	30,000
कुल	30,000

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 3600वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1000
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोर्बाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

11. Case No. P-2/493 Shri PAWAN BARDE, Owner, Village Amba Tehsil Nepanagar District Burhanpur (MP) Prior Environment Clearance for Crusher Stone in an area of 1.0 ha. (Crusher Stone – 5000 Cum/Year) (Khasra No. 387), Vill. Jhirpanjaria, Tehsil – Nepanagar, Distt. Burhandpur (M.P.) B-2.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri PAWAN BARDE, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **Cognizance Research India Pvt. Ltd.** उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri PAWAN BARDE, Owner, Village Amba Tehsil Nepanagar District Burhanpur (MP)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	387 (निजी भूमि)	1.0 hectare.
स्थल	Vill. Jhirpanjaria, Tehsil – Nepanagar, Distt. Burhandpur (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के पत्र क्रमांक 32 दिनांक 19/01/22 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Crusher Stone – 5000 cubic meter per year हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Crusher Stone – 5000 cubic meter per year है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1113 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1113 दिनांक 22/11/23 अनुसार 10	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1113 दिनांक 22/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिरपाजरिया जिला बुरहानपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 15/8/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बुरहानपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1113 दिनांक 22/11/23 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी ।

प्रकरण आज सेक की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा ।

12. Case No. P-2/532/24 Ranjana Singh Tomar, A-1/8 Vinay Nagar, Sector 4, Gwalior Distt. – Gwalior (M.P.) - 473793. Prior Environment Clearance for Stone & M-Sand Quarry, Lease Area- 3.92 Ha., Capacity: (Stone- 50,000, M- Sand- 25,000) M3/ Year) at Khasra No. - 2, Village- Magroni, Tehsil- Bairad, District- Shivpuri (M.P.). B2 Case.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत सिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमति रंजना सिंह तोमर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

परियोजना विवरण		परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता		Smt. Ranjna Singh Tomer W/o Shri Amar Singh Tomer R/o- A-1/8, Vijay nagar Sector-4, District- Gwalior(M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	02(शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.920 hectare.
स्थल		Village - Magroni, Tehsil - Bairad, District – Shivpuri (M.P.).
लीज स्वीकृति		कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 62 दिनांक 18/07/2018 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
सिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	सिया के पत्र क्रमांक 2206 दिनांक 18/09/2019 के द्वारा पत्थर- 21000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 50,000 घनमीटर/ वर्ष एवं एम.सेण्ड 25,000 घनमीटर/ वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर- 50,000 घनमीटर/ वर्ष एवं एम.सेण्ड 25,000 घनमीटर/ वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1153 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में काई अन्य खदानें संचालित/ स्वीकृत नहीं हैं, इस प्रकार कुल रकबा 3. 920 है. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1153 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/ अभ्यारण्य/ ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शिवपुरी के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1153 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/ सार्वजनिक भवन/ शमशान घाट/ राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/ नदी/ तालाब/ बांध/ स्टॉप डैम/ नहर/ ग्रामीण कच्चा/ पक्का रास्ता/ नाला नहीं हैं।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत गाजीगढ़ जिला शिवपुरी के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 02/10/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।	
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित है	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा— पक्का रास्ता लगभग 154 मी. पर स्थित हैं। जिससे 46 मी का सेटबेक छोड़ा गया है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 17-18 के सरल क्रमांक— 32 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि आंवटित क्षेत्र का बैरियर जोन खुदा हुआ है तथा केशर लीज एरिया के अन्दर स्थापित है। गूगल इमेज के अवलोकन से ई.सी. में दी गई शर्तों का वर्तमान में कोई पालन नहीं हुआ है ऐसा परिलक्षित हो रहा। अतः परियोजना प्रस्तावक 03 माह में ई.सी. में दी गई समस्त शर्तों का पालन करने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् प्रकरण पर विचार किया जावेगा।

13. Case No. P-2/491 Shri Krishna Sikarwar, Partner, M/S KRISHNA V.N. MINERALS, Office Address-Daddadham, Katni, District- Katni (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (55,556 cum per annum) (Khasra No. 239) Village- Mukhas Tehsil- Dimarkheda, District- Katni (M.P.) TOR.

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कृष्णा सिकरवार, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.जी.एस. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Krishna Sikarwar, Partner, M/S KRISHNA V.N. MINERALS, Office Address-Daddadham, Katni, District- Katni (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	239 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	Village- Mukhas Tehsil- Dimarkheda, District- Katni (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के पत्र क्रमांक 2208 दिनांक 22/07/21 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-55,556 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर-55,556 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

में अन्य खदाने	1578 दिनांक 28/06/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदाने संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 10.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 28/06/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1578 दिनांक 28/06/24 अनुसार आवेदित क्षेत्र से तालाब लगा हुआ है और आवेदित खसरा नं. से चौड़ा कच्चा सड़क खेत जाने के लिए बना है, शेष अन्य से 500 मीटर की परिधि में नहीं है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक-2 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-67 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः इनकी द्वी इंवेंट्री ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः इनकी द्वी इंवेंट्री ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये।
2. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
3. खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
5. ऐसे सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
6. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

7. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
10. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
12. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।
14. ईएमपी योजना में चेनलिंग योजना का प्रस्ताव शामिल करें।

14. Case No. P-2/533/24 Shri Yogesh Singh, Additional Director, M/s KAYDEN MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED, H. No. 265, Defense Colony, Hisar, Haryana, 125001 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 3.00 ha. (Stone-21200 & M-Sand- 104675 cum per annum) (Khasra No. 1/1) VILLAGE NEEMKHEDA, TEHSIL NOWGONG, DISTRICT – CHHATARPUR (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री योगेश सिंह, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Yogesh Singh, Additional Director, M/s KAYDEN MINES AND MINERALS PRIVATE LIMITED, H. No. 265, Defense Colony, Hisar, Haryana, 125001	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	3.00 hectare.
स्थल	VILLAGE - NEEMKHEDA, TEHSIL - NOWGONG, DISTRICT -	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	CHHATARPUR,)M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 2555 दिनांक 20/09/23 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— 21200 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand- 104675 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर— 21200 घनमीटर/वर्ष एवं M-Sand- 104675 है ।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 228 दिनांक 09/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है ।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 228 दिनांक 09/02/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 228 दिनांक 09/02/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत खुर्दा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—2 दिनांक 01/07/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जावेगा ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 245 दिनांक 12/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाधांत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं तथापि एक कच्चा रास्ता निकल रहा है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बातया कि यह पेड़ काटे नहीं जायेंगे तथा जो कच्चा रास्ता निकल रहा है वह पगड़ंडी है जो गॉव वालों के आने जाने से बन गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बातया कि एम सेंड प्लांट आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर ही स्थापित किया जावेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेपडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन—21,200 cum per annum & M-Sand- 1,04,675 cum per annum.
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.77 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 06.33 लाख प्रति वर्ष।
3. **खनन् क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मिति प्राप्त करना होगी।**
4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी **प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।**
5. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम नीमखेड़ा के शासकीय स्कूल में अधोसंरचना विकास में सहयोग हेतु 75,000 रुपये की राशि शिक्षक पालक संघ समिति नीमखेड़ा के खाते में भू—प्रवेश के तीन माह के अंदर जमा की जावेगी।	75,000
ग्राम नीमखेड़ा की आंगनवाड़ी में बच्चों के खिलौनों एवं पाढ़य सामग्री का वितरण किया जावेगा	25,000
कुल	1,00,000

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 2500 वृक्षों का वितरण :—

कंप	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सागौन, काला सिरस, नीम खमेर,	1000

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	गड्ढे का आकार 70×70×70 से.मी.	नीलगिरी एवं करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों।	
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	100
3	नीमखेड़ा ग्राम वासियों में वितरण हेतु	आंवला, आम, मुनगा, कटहल, इमली, अमरुद, पपीता, नीबू हर्रा, बहेड़ा, जामुन एवं अन्य स्थानीय प्रजातियों।	2500
कुल			3600
उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।			

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

15. Case No. P-2/495 Shri RAKESH NAGAR, Owner, S/O, Ajad singh nagar 1925, rajendra nagar, huzur, Bhopal. Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.70 ha. (MURRUM QUARRY - 14,700Cum/Year) (Khasra No. 404), Village- Neelbad, Tehsil-Huzur, District - Bhopal, M.P. B-2

प्रस्तावित मुरुम खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री राकेश नागर, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री कृष्णचंद्र पांडा, ओंसियो उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri RAKESH NAGAR, Owner, S/O, Ajad singh nagar 1925, rajendra nagar, huzur, bhopal	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	404 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)	3.70 hectare.
स्थल	Village- Neelbad, Tehsil-Huzur, District - Bhopal, M.P.	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2396 दिनांक 18/7/23 के द्वारा स्वीकृत।	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा MURRUM QUARRY - 14,700 M3 /Annum घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार MURRUM QUARRY - 14,700 M3 /Annum है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 33 दिनांक 05/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 33 दिनांक 05/01/24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 33 दिनांक 05/01/24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाइन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रसूलिया पठार जिला भोपाल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 05 दिनांक 09/3/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 85 दिनांक 16/01/24 अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जावेगी।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 57 मीटर की दूरी पर नाला है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा 0.80 है. का सेटबैक नॉन माईनिंग क्षेत्र के रूप में प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है, एवं पश्चिम दिशा में 154 की दूरी पर एक कच्चा रोड है परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुख्य—14,700 Cum/Year

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 18.52 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 6.38 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
अधोसंरचना विकास के लिए शासकीय प्राथमिक विद्यालय नीलबड़ के पालक शिक्षक संघ में अग्रलिखित धनराशि जमा कराई जाएगी	1,00,000
सी.ई.आर. के मद में प्रस्तावित की गयी धनराशि, पालक शिक्षक संघ में भू-प्रवेश के तीन माह के भीतर जमा करा दी जाएगी एवं इसकी सूचना माइनिंग ऑफीसर को दी जाएगी	

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2550 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	नीम, खमेर, चिरोल, करंज, एवं सीताफलहर 4 पेड़ के बीच में एक	1650
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	कलासिरस, नीम, शीशम (सिस्सू), सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातीय।	300
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	जामुन, मुनगा, सीताफल, कटहल नीबू, सीताफल एवं अमरुद	2550

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

16. Case No. P-2/535/24 Shri ANIKET BANSAL, Proprietor, Ramkrishnaganj, Anajmandi Ke Piche, OM Niwas, Khandwa MP. Prior Environment Clearance for M-Sand and Stone in an area of 2.40 ha. (M-Sand – 35000 M3 /Year and Stone – 15000 M3 /Year) (Khasra No. 56/2/2/2 & 56/3/2), Village-Mordad, Tehsil-Khandwa, Distt. –Khandwa (M.P.) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री अनिकेत बंसल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Aniket Bansal, S/O Shri Rakesh Bansal R/o- Ramkrishnaganj Anajmandi ke Piche, Om Niwas, Khandwa, District- Khandwa (M.P.)- 450001		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	56/2/2/2, 56/3/2 (निजी भूमि) (सहमति)-नॉन फॉरेस्ट लैंड,	भूमि	2.40 hectare.
स्थल	Village-Mordad, Tehsil- Khandwa, District- Khandwa, Madhya Pradesh		
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज-शाखा) जिला खण्डवा (म० प्र०) क्रमांक 274 / खनिज / 2023 खण्डवा, दिनांक-05/06/2023 द्वारा स्वीकृत।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।		
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।		
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी-15,000घनमीटर एवं एम-सेण्ड- 35,000 घनमीटर हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी-15,000घनमीटर एवं एम-सेण्ड- 35,000 घनमीटर है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 495 दिनांक 05/07/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत नहीं हैं, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।		
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 495 दिनांक 05/07/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।		
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 495 दिनांक 05/07/23 अनुसार 220 मीटर की दूरी पर		

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	कच्चा रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत के ठहराव प्रस्ताव अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - लीज क्षेत्र में कोई पेड़ नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	<p>कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक 574 दिनांक 19/07/24 अनुसार उक्त खदान को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा ।</p> <p>समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।</p>

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण दिशा में प्राकृतिक नाला 67 मी की दूरी पर तथा पश्चिम दिशा में कच्ची रोड 154 मी. की दूरी पर स्थित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी—15,000घनमीटर/वर्ष एवं एम—सेण्ड—35,000 घनमीटर/वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.53 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 5.49 लाख प्रति वर्ष ।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये ।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :-

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

सी.आर. मदद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु. में)
ग्राम मोरदड़ के प्राथमिक स्कूल में कंप्यूटर, प्रिंटर तथा कंप्यूटर टेबल की व्यवस्था प्रथमवर्ष में की जाएगी	रु 60,000 /—
ग्राम मोरदड़ के ग्रामवासियों के लिए चिकित्सा अधिकारी से परामर्श कर आयुष्मान अरोग्य मन्दिर के खाते में योगदान राशि प्रथमवर्ष में जमा किया जायेगा।	रु 1,00,000 /—
योग	1,60,000 /—

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2900 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्रं	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	इमली, कटहल, आम, अमरुद, बेल, जामुन एवं अन्य फलदार स्थानीय प्रजातियाँ,	630
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, कुसुम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ, ।	110
3	शासकीय विद्यालय मोरदड़ में	कचनार, पुत्ररंजीवा मौलश्री और कुसुम अन्य सजावटी पेड़ इत्यादि ।	20
4	मोरदड़ ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, सीताफल, मुनगा, अमरुद ।	2140

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

17. Case No. 9907/23 Shri Kapil Patel, Lessee, R/o 103/1, Rapat Road, Jaora, District-Ratlam (MP)-457226. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.998

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

ha. (Stone Quarry - 7600 M3 /Year) (Khasra No. 17/1), Village Rojana, Tehsil Jaora, District Ratlam(M.P.). EIA

प्रस्तावित स्टोन खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री कपिल पटेल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बड़ौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Kapil Patel, Lessee, R/o 103/1, Rapat Road, Jaora, District-Ratlam (MP)-457226,	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	17/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.998 hectare.
स्थल	Village Rojana, Tehsil Jaora, District Ratlam(M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के पत्र क्रमांक 1392 दिनांक 26/2/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
टॉर	सेक की 649वीं बैठक दिनांक 07/6/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 745 दिनांक 23/6/2023 के द्वारा 7600 घनमीटर/वर्ष के लिए टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है।	
ब्लास्टिंग/ रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया रतलाम के पत्र क्रमांक 1580 दिनांक 29/6/2018 के द्वारा पत्थर— 7600 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा Stone Quarry - 7600 Cum per annum हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार Stone Quarry - 7600 Cum per annum.	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18/4/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 03 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 9.998 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18/4/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं हैं।	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 918 दिनांक 18/4/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण क्षेत्र/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत रोजाना जिला रतलाम के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 8 दिनांक 31/5/2017 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण रतलाम जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-18 के सरल क्रमांक-04 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि माइनिंग एरिया की पूर्व दिशा में बैरियर जोन खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि त्रुटिवश यह क्षेत्र खुद गया है जिसे उनके द्वारा पुनः भरा जायेगा तथा इस रिक्लेमेनेशन हेतु रु. 50,000 का प्रावधान ईएमपी में किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि क्षेत्र लीज के अन्दर स्थापित है। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी ई.सी. के तहत लगभग 40 प्रतिशत फॉसिंग का कार्य किया है, सामाजिक कार्य के साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा कुछ पौधारोपण का कार्य (50 पौधें बैरियर जोन में तथा 138 पौधें ग्रामीणों को वितरित किए गए) किया गया है किंतु गारलैण्ड ड्रेन नहीं बनाया गया है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेन ड्रेन बनाये गये थे, जो बारिश के कारण भर जाने से परिलक्षित नहीं हो रहे हैं तथा वे ई.सी. मिलते ही इन्हें पुनर्स्थापित करेंगे। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 11 मीटर पर एक गढ़ा है, जिसमें पानी भरा हुआ था तथा यह गढ़ा पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु खोदा गया था जिसके संदर्भ में उनके द्वारा जारी पत्र प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न किया गया है। परियोजना प्रस्तावक दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तों एवं स्टेंडर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-7,600 मी³ प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 9.65 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 2.88 लाख प्रति वर्ष।
3. खनन् क्षेत्र में प्रस्तावित माईन आधारित क्षेत्र प्लान्ट/एम.सेड प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित क्षेत्र प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
5. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम रोजाना में प्रथमिक स्वास्थ केंद्र एवं स्वास्थ सेवाओं के विकास हेतु आरोग्य मंदिर में उल्लेखित राशि भू प्रवेश मिलने के 3 माह के भीतर जमा करवा दी जावेगी	36,000/-
कुल योग	36,000/-

6. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्थनिपट्टे के बैरियर जोन व गैर खनन क्षेत्र में	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—आमला, आम, अमरुद, अनार, कटहल, निम्बू, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	400 पौधे
2	परिवहन मार्ग के किनारे वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—नीम, कदम्ब, खमेर, सिस्मू, पीपल, करंजआदि।	60 पौधे
3	रोजाना गांव में आरोग्यधाम में वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—पीपल, बरगदआम, आमलाआदि।	40 पौधे
3	रोजाना गांव में ओवरहेड पानी की टंकी के पास वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—पीपल, बरगदआम, आमलाआदि।	60 पौधे
	रोजनागांवमेंदेवीमंदिरमें वृक्षारोपण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—पीपल, बरगदआम, आमलाआदि।	20 पौधे
	पास के गांव में पौधे का वितरण	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे—आमला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिडमुनगाआदि।	1840 पौधे
कुल			2400 पौधे

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

18. Case No. P-2/537/24 SHRI MADHUSUDAN SHARMA, OWNER, GRAM CHACHIHA, CHACHIHA, POST MUNDRAWAJA, CHACHIHA, MORENA, MADHYA PRADESH 476221, Prior Environment Clearance for Chachiha Soil Quarry with a production capacity of 2,400 Cu.mt/year Soil at area is 1.00 Ha., (Pvt. Land) in Khasra No - 48, 68/1, Village. - Chachiha, Tehs il - Joura, District- Morena (M.P.). B2 Cat.

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है, जिसमें आज दिनांक 03 / 05 / 2024 को परियोजना प्रस्तावक Shri Madhusudan Sharma, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी, मे0. ए.जी.एस. इंवारोमेंटल सर्विसेस प्रा. लि. दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Madhusudan Sharma S/o Shri Indralal Sharma R/O-Village - Chachiha, Post-Mundarawaja, Tehsil – Joura, District – Morena(M.P.)	
खसरा नं. / क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	48, 68/1 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.00 hectare.
स्थल	Village – Chachiha, Tehsil –Joura, District - Morena (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के पत्र क्रमांक 845 दिनांक 08 / 07 / 2021 के द्वारा स्वीकृत ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर- 2400 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 2400 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 725 दिनांक 07 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 02 है. होता है, अतः प्रकरण बी- 2 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 725 दिनांक 07 / 07 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 725 दिनांक 07 / 07 / 2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत चविहा, जिला मुरैना के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 04 दिनांक 26/01/2020 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कोई पेड़ स्थित नहीं हैं ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 15 के सरल क्रमांक-39 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि माइनिंग लीज एरिया निजी भूमि पर है तथा सहमति प्राप्त हैं। अतः एल0आर0 सी0/एम0एम0आर0 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र से लगे हुये उत्तर-पश्चिम दिशा में कुछ कच्चे घर हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल - 2400 घनमीटर/वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 5.94 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.13 लाख प्रति वर्ष।
3. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम, 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

4. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.36 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर. मद से 36,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम चचिहा के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	36,000/-

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	आम, अमरुद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियाँ	300
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	150
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	750

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

19. Case No. 9826/23 Shri Sanjay Patwala, 72, Sukh Niwas, Gram Sukh Niwas, Indore (MP)-452013. Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 2.00 ha. (Stone – 9894 cum per annum) (Khasra No. 83) Village-Jhigadi, Tehsil-Badwah, District-Khargone (MP) EIA

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजय पटवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि, दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Sanjay Patwal R/o- Sukhniwas, Tehsil- Indore, District- Indore (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	83 (शासकीय—नॉन फॉरेस्ट लैंड)	2.0 hectare.
स्थल	Village - Jhigadi, Tehsil - Badwaha, District - Khargaon (M.P.).	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के पत्र क्रमांक 1563 दिनांक 27/03/2015 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया के पत्र क्रमांक 168 दिनांक 30/01/2017 के द्वारा पत्थर- 9894 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है।	
टॉर	सेक की 655 वीं बैठक दिनांक 22/06/2023 को अनुशंसित, सिया के पत्र क्रमांक 934 दिनांक 24/07/2023 के द्वारा टॉर जारी किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर-9894 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार 9894 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9629 दिनांक 28/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 6.0 है. होता है, अतः प्रकरण बी- 1 श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9629 दिनांक 28/02/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर जिला खरगोन के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 9629 दिनांक 28/02/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिंगड़ी तह. बड़वाह जिला खरगोन के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 46 दिनांक 26/01/2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
क्षेत्र की स्थिति	क्षेत्र लीज क्षेत्र के बाहर है ।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	• लीज में स्थित पेड़ स्थित नहीं है ।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.- 53 के सरल क्रमांक-24 पर दर्ज है ।
जन सुनवाई	प्रस्तावित खदान की दिनांक 08/12/2023 को संपन्न दस आपत्तियों/सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

प्रस्तुतिकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खनन योजना में टंकण त्रुटी के कारण चेप्टर क्रमांक 1 के पेज नं 2 पर अंक्षाश देशांश क्रमांक 2 एवं 3 में अंक्षाश देशांश के डपदनजमे एवं मबवदक में खनन योजना के सरफेस मेप कि अपेक्षा टंकण त्रुटी के कारण गलत प्रिंट हो गए हैं जबकी खनन योजना के सरफेस मेप में दिये गए अंक्षाश देशांश सही है। जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रभारी खनिज अधिकारी का पत्र क्र 3229/खनिज/24 दिनांक 03/05/2024 में सही कॉडिनेट्स के सत्यापन के संबंध में प्रस्तुत किये गये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 9894 घनमीटर/वर्ष है।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 10.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 5.86 लाख प्रति वर्ष ।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्लान्ट/ एम.सेड प्लान्ट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में क्षेत्र प्लान्ट/एम.सेड प्लान्ट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्षेत्र प्लान्ट/एम.सेड प्लान्ट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लान्ट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. सी.ई.आर. मद में निम्नानुसार राशि रु. 1.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
सी.ई.आर मद से 1,00,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम झिंगड़ी के शासकीय माध्यमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	1,00,000/-

7. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	चिरोल, नीम, जंगल जलेबी, करंज, अमलताश, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	650
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	करंज, कदम, चिरोल, जंगल जलेबी एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	800
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आँवला, अमरुद, मुनगा, पपीता, निंबू आम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	950

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

20. Case No. P-2/538/24 Shri RAHUL JAIN, Lease Owner, Deori, Sagar, Madhya Pradesh -470226 Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 4.00 ha. (M-Sand-14,700 cum per annum, Stone-15,000 cum per annum & Murum-23513 cum per annum) (Khasra No. 72) Village- Katagi Tehsil- Deori District Sagar (M.P.). TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत नया पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024. को परियोजना प्रस्तावक श्री राहुल जैन, ऑनलाइन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Rahul Jain S/o Shri Jinendra Kumar Jain, R/O Tilak Ward, Village- Deori, Tehsil- Deori, District- Sagar, Madhya Pradesh	
खसरानं./ क्षेत्रफल (सरकारी/ निजी)	72 (Govt. Land), (गैर वन शासकीय भूमि, नोईयत- चराई)	4.00 हेक्टेयर
स्थल	Village- Katangi, Tehsil-Deori, District-Sagar, State- Madhya Pradesh	
लीज स्वीकृति	संचालय भौमिक तथा खनिकर्म, मध्य प्रदेश जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 6438 / खनिज / उ०प. / न.क्र.27 / 2022, भोपाल दिनांक 26 / 05 / 23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग / रॉकब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा गिर्ही - 15,000 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड - 14,700 घनमीटर/वर्ष, एवं मुरम बोल्डर - 23,513 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार गिर्ही - 15,000 घनमीटर/वर्ष, एम-सैंड - 14,700 घनमीटर/वर्ष, एवं मुरम बोल्डर - 23,513 घनमीटर/वर्ष है ।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 223 / खनिज / 2024, दिनांक 13 / 02 / 24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकबा 15.700 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1 श्रेणी का है ।	
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 223 / खनिज / 2024, दिनांक 13 / 02 / 24 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जॉन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 223 / खनिज / 2024, दिनांक 13 / 02 / 24 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं हैं।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा कटांगी, तहसील— देओरी, जिला— सागर दिनांक 08/2021, के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	पश्चिम दिशा— पक्की सड़क 1.17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पश्चिम—पूर्व दिशा— तलाब 575 मी. की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा—आबादी 887 मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक—/231/खनिज/2024 दिनांक 13/02/24 अनुसार उक्त खदान को अद्यतन डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	16/02/2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज एरिया शासकीय चारागाह भूमि पर है। अतः परियोजना प्रस्तावक, चारागाह को ग्राम पंचायत के माध्यम से विकसित करने हेतु रु. 50,000/- हेक्टेयर तथा रख—रखाव हेतु रु. 15,000/- का प्रावधान करेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी पाया गया कि लीज एरिया में एम सेन्ड प्लांट स्थित है अतः सरफेस रन ऑफ स्टेडी भी कराई जाये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल इमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तों के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तों के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेप्डर्ड टॉर, एनेकजर—डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

3. ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
4. लीज एरिया शासकीय चारागाह भूमि पर है अतः परियोजना प्रस्तावक, चारागाह को ग्राम पंचायत के माध्यम से विकसित करने हेतु रु. 50,000/- हेक्टेयर तथा रख-रखाव हेतु रु. 15,000/- का प्रावधान करेगा।
5. लीज एरिया में एम सेन्ड प्लांट स्थित है अतः सरफेस रन ऑफ स्टेडी भी कराई जाये।
6. आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः इनकी ट्री इंवेंट्री ईआईए के साथ प्रस्तुत की जाये।
7. एम सेन्ड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. यदि भू-जल का प्रतिष्ठेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉप्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. ओवर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
14. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
15. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

21. Case No. P-2/539/24 Shri Krishna Singh, Ro/- Village -Jamui, Tehsil- Sohagpur, District-Shahdol, (M.P.) - 484001. Prior Environment Clearance for Jamua Stone (Gitti) Quarry Khasra No.- 65(P)], an Area of 2.00 Ha. located Near Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 27,297 Cum/Year. B2 Case

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदित है,।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Krishna Singh, Ro/- Village -Jamui, Tehsil- Sohagpur, District-Shahdol, (M.P.) - 484001. Prior Environment Clearance for Jamua Stone (Gitti) Quarry Khasra No.- 65(P),, an Area of 2.00 Ha. located Near Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.) with Proposed Production Capacity – 27,297 Cum/Year. SIA/MP/MIN/ 463185 /2023.	
परियोजना का खसरा नं. / लीज क्षेत्रफल	खसरा नं.- 65(P),	एरिया- 2.00 ha., निजीभूमि
परियोजना स्थल	Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol (M. P.)	
Activity	It is Fresh B2 Category Stone Quarry Project Making Gitti through Crusher Plant. Project is located at Survey No. 65(P) in Village Jamua, Tehsil Sohagpur, District Shahdol Madhya Pradesh Total Quarry Lease Area - 2.00Ha.	
सेंधातिक सहमति	पत्र क्र. 73071 दिनांक 03 / 10 / 2023.	
पर्यावरणीय स्वीकृति	New.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Muffle Blasting,	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	लागू नहीं।	
उत्पादन क्षमता	• स्टोन – 27,297 घनमीटर/वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण।	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहडोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदाने स्वीकृत नहीं है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 2.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहडोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09 / 01 / 2024 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहडोल के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09 / 01 / 2024 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत/ नगर परिषद्	कार्यालय ग्राम पंचायत – गोरतरा, जिला – शहडोल द्वारा जारी ठहराव प्रस्ताव क्र. 01 दिनांक 08 / 07 / 2021 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला – शहडोल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 09/01/2024 द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा।
----------------------------------	--

प्रकरण आज सेक की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण की समीक्षा हेतु विचार किया जा सकेगा।

22. Case No. P-2/496 Shri Piyush Gautam, Partner, M/S MAYANSH MINERALS, Add- Ward no-7, Marai Mohalla, Balaghat District- Balaghat (M.P) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.54 ha. (10,378 cum per annum) (Khasra No. 378/1/1) Village- Manegaon, Tehsil- Khairlanji, District- Balaghat (M.P) B-2

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री पियुष गौतम, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Piyush Gautam, Partner, M/S MAYANSH MINERALS, Add- Ward no-7, Marai Mohalla, Balaghat District- Balaghat (M.P)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	378/1/1(सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लैंड)	1.54 hectare.
स्थल	Village- Manegaon, Tehsil- Khairlanji, District- Balaghat (M.P)	
लीज स्वीकृति	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक 13298 दिनांक 05/10/23 द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 10378 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर- 10378 घनमीटर/वर्ष है। जेनिथ	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 71 दिनांक 19/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	अन्य खदान संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 02.674 है. होता है, अतः प्रकरण बी-2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 71 दिनांक 19/01/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है और महाराष्ट्र सीमा लगती है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 71 दिनांक 19/01/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत कुम्हली जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—6 दिनांक 02/10/22 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	लीज क्षेत्र खुदा हुआ है जिसे सरफेस मेप में दर्शाया गया है। उत्तर दिशा— दक्षिण दिशा— पूर्व दिशा— पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट के पत्र क्रमांक 162 दिनांक 16/02/23 अनुसार नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समांगौत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि गूगल इमेज अनुसार लीज एरिया में खनन कार्य किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा लीज एरिया से रोड निकल रहा है जिस पर परिवहन एवं आवागमन हो रहा है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में प्रोजेक्ट कार्य हेतु अस्थाई खनन परमिट दिया गया था किंतु समिति ने गूगल में बैक इमेज में देखा तो पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र में वर्ष 2013 से खनन कार्य किया जा रहा है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः—

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता 10378 घन मीटर प्रति वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 11.80 लाख एवं रिक्रिंग राशि रु. 1.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. गूगल ईमेज अनुसार लीज एरिया में खनन कार्य किया जाना परिलक्षित हो रहा है तथा लीज एरिया से रोड़ निकल रहा है जिस पर परिवहन एवं आवागमन हो रहा है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2017–18 में प्रोजेक्ट कार्य हेतु अस्थाई खनन परमिट दिया गया था किंतु समिति ने गूगल में बैक ईमेज में देखा तो पाया कि आवंटित खनन क्षेत्र में वर्ष 2013 से खनन कार्य परिलक्षित हो रहा है अतः माइनिंग अधिकारी स्थिति स्पष्ट करते हुये आवश्यक कार्यवाही हेतु सक्षम अधिकारी को अवगत करायें ।
4. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
शासकीय प्राथमिक शाला मानेगाँव में 10 कुर्सियाँ की व्यवस्था	15,000
मानेगाँव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रभारी अधिकारी के सलाह के अनुसार सामग्री का वितरण	15,000
ग्राम मनेगाँव में एलईडी बल्ब (5watt) का वितरण	10,000
कुल	40,000

5. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1540 वृक्षों का वृक्षारोपण :—
- 6.

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावितस्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें	नीम, खमेर, सिरस (काला और सफेद), जंगल जलेबी, आंवला, चिरोल, करंज, सिस्सू एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	200
2	परिवहनमार्गमें (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री—गार्ड के साथ)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख—रखाव /

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका संरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांशित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

23. Case No. P2/577 /24 Shri SUPRIMA AGRAWAL, Lessee, R/o- Durga Chowk Ghodaongri, Tehsil-Ghodadongri, District- Betul (M.P.) Prior Environment Clearance for Stone Mine in an area of 1.00 ha. (5,000 cum per annum) (Khasra No. 144) Village- Peepri, Tehsil- Ghodadongri, and District- Betul (M.P.). (DEIAA) B-2

In reference of the subject matter above, here we would like to address that according to the point number 9 of the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as the production is changing from previous environmental clearance by Deiaa, however we have already filled application for this case as a fresh cas

प्रस्तावित खदान बी-2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 02.05.2024 को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल पत्नी श्री आशीष अग्रवाल एवं उनके पर्यावरणीय सलाहाकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजरात उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	श्रीमती सुप्रिया अग्रवाल पत्नी श्री आशीष अग्रवाल पता— दुर्गा चौक तहसील घोडाडोगरी जिला बैतूल (म.प्र.)
केशर की स्थिति	केशर लीज क्षेत्र में प्रस्तावित नहीं है
प्रस्ताविस्थितपर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज में स्थित पेड़ों का विवरण-0
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्थनिपट्टे के दक्षिण दिशा में 20 मीटर की दूरी पर एक सी.सी पोल निर्माण करने वाली फैक्ट्री है जो कि प्रस्तावक की परिवार के सदस्य की ही है एवं परियोजना प्रस्तावक ने फैक्ट्री मालिक द्वारा अनापत्ति हेतु नोटराइज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें उल्लेखित है कि फैक्ट्री मालिक द्वारा अनापत्ति प्रदान की गयी है। पक्का रोड 315 मीटर पूर्व दिशा में है
	खदान के उत्तर दिशा दिशा में 52 मीटर पर एवं दक्षिण दिशा में 155

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

मीटर पर नाला है

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि यह डिया का प्रकरण है तथा आवेदक ने एस.ओ. पी. के तहत फार्म-2 में न्यू केटेगरी में आवेदन किया है तथा माइनिंग लीज एरिया निजी भूमि पर है तथा सहमति प्राप्त है अतः एल0आर0 सी0/एम0एम0आर0 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करें। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज एरिया में बैरियर जोन खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया गया कि त्रुटिवश यह क्षेत्र खुद गया है जिसे उनके द्वारा पुनः भरा जायेगा तथा इस रिक्लेमेनेशन हेतु समुचित बजट कर प्रावधान ईएमपी में किया गया है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी पाया गया कि लीज एरिया से दक्षिण-पश्चिम दिशा में 105 मीटर पर कच्ची हॉलेज रोड़ है, पूर्व में 315 मीटर पर पक्की रोड़ तथा दक्षिण दिशा में 158 मीटर पर नाला है। समिति ने प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी ई.सी. के तहत लगभग 50 प्रतिशत फेंसिंग का कार्य किया है, सामाजिक कार्य के साथ्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा कुछ पौधारोपण का कार्य (100 पौधे) किया गया है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेन इंजन बनाये गये थे, वे ई.सी. मिलते ही वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करेंगे।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति विशिष्ट शर्तों एवं स्टेप्डर्ड शर्तों संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

1. अनुमोदित खनन योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन-5000 घनमीटर/वर्ष
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रु. 6.39 लाख एवं रिकरिंग राशि रु. 1.60 लाख प्रति वर्ष।
3. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नहीं है, अतः लीज क्षेत्र में केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकेगी।
4. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
5. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट/एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी।
6. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
 - म.प्र. भू राजख्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
 - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम 06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

धारक को उत्थनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।

7. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रु. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 3 माह में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ	राशि (रु.में)
ग्राम घोड़ाडोंगरी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रयोगशाला के विकास हेतु उल्लेखित राशि भू प्रवेश के 3 माह के अंदर प्रदान की जावेगी।	40,000/-

8. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में अंतर्गत	स्थानीय पौधों की प्रजातियाँ जैसे— आवलाँ, कटहल, जामुन, आम, जामफल, जंगल जलेबी, आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	405
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम 1.5 मीटर ट्री-गार्ड के साथ)	नीम, सिस्सू, चिरोल, कदम्ब, करंज, पाकर, पीपल आदि।	100
3	घोड़ाडोंगरी स्थित महाविद्यालय के परिसर में	पुत्रंजीवा मोलश्री सिस्सू, कदम्ब, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि	50
4	ग्राम वासियों को पौधे वितरण	आंवला, सीताफल, आम, अमरुद, अनार, कटहल, जामुन, हाइब्रिड मुनगा आदि।	645

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं लीज अवधि तक उन पौधों का रख-रखाव/मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये। गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गाँव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे।

अनुशंसा— प्रस्तुतीकरण एवं समीक्षा के आधार पर उपरोक्त विशिष्ट शर्तों के साथ परियोजना को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा की जाती है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

24. Case No. P2/575 /24 Shri ALKESH BAKALIYA, lease owner, Himala, Rachharda Dahod Gujarat- 389151. Prior Environment Clearance for Stone in an area of 1.25 ha. (Stone – 25,650 m3/Year (Khasra No. 137/1, 137/2) Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District –Jhabua (M.P.) TOR

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है।

In reference of the subject matter above, here we would like to address that according to the policy decision by respected MP-SEIAA taken in meeting 826th dtd 23-01-2024, our case will be considered as fresh case as there is change from the existing environmental clearance because the lease gets transferred to us and the EC was in the name of previous lessee, however we have already filled application for this case as an fresh case. Kindly consider our case as fresh case and accept or case for further procedure of environmental clearance.

प्रस्तावित पत्थर खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति पुनः मुल्यांकन के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024. को परियोजना प्रस्तावक श्री अलकेश बकालिया Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरो टेक इंडिया प्रा.लि. लखनऊ उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक का नाम व पता	Shri Alkesh Bakaliya S/o- Shri Chatar singh Bakaliya R/o- Ramkrishn Nagar, District-Jhabua(M.P.)	
खसरानं./ (सरकारी/ निजी)	क्षेत्रफल	137/1, 137/2 (Govt. Land), (गैर वन शासकीय भूमि, नोईयत- चराई)
स्थल	Village -Navapada, Tehsil-Meghnagar, District -Jhabua, Madhya Pradesh.	
लीज स्वीकृति	संचालन भौमिक तथा खनिकर्म, मध्य प्रदेश जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 13892-93/खनिज/न.क्र.27/उ.प./ग्रुप-01/2021, भोपाल दिनांक 07/10/21 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/ रॉकब्रेकर	अनुमोदित खनन योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्पादन मात्रा गिर्ही - 25,650 घनमीटर/वर्ष, हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन योजना अनुसार उत्पादन मात्रा गिर्ही - 25,650 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला झाबुआ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 1049/खनिज/2023, दिनांक 02/11/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 04 अन्य खदानें	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	संचालित/स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 5.63 है. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।
वनमण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1049/खनिज/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं है एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) झाबुआ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1049/खनिज/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम सभा कटांगी, तहसील— देओरी, जिला— सागर पत्र क्रमांक—45/पंच/2020, दिनांक 21.11.2020, के ठहराव प्रस्ताव के अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।
प्रस्तावित स्थन पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	लीज एरिया में कोई पेड़ दिखाई दे रहे हैं।
प्रस्तावित स्थल की गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति ;खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों	पूर्व दिशा— पक्की सड़क 100 मीटर की दूरी पर स्थित है पश्चिम—पूर्व दिशा—प्रकृतिक नाला 178 मी. की दूरी पर स्थित है। पश्चिम दिशा—आबादी 572 मी. की दूरी पर स्थित है।
प्रस्तावित खदान की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में स्थिति	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—20 के सरल क्रमांक—43 पर दर्जहै।
ऑनलाइन (परिवेश) आवेदन की तिथि	17/02/2024

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रकरण बी—1 श्रेणी का है तथा आवेदक ने आवेदन बी—2 श्रेणी में कर दिया है। अतः समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया कि वे आवेदन की श्रेणी बी—2 से बी—1 श्रेणी करने हेतु अपना संशोधित आवेदन ऑनलाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

25. Case No. P-2/497 Shri Ashish kumar Tiwari, Partner, M/s MS NIRBHAY STONE CRUSHER AND CONSTRUCTION COMPANY, SATNA (M.P.) Prior Environment Clearance for Metal Stone Mine in an area of 1.500 ha. (-22,315 cum per annum) (Khasra No. 1085/1) Village- Morwa, Tehsil & District- Chhatarpur (M.P) TOR

प्रस्तावित खदान बी-1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 03/05/2024 को परियोजना प्रस्तावक श्री आशीष कुमार तिवारी, ऑनलाईन एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री वरुण भारद्वाज, मेसर्स जेनिथ इंवायरोमेंट कंसल्टेंसी, नोएड, उ.प्र. उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना का नाम व पता	Shri Ashish kumar Tiwari, Partner, M/s MS NIRBHAY STONE CRUSHER AND CONSTRUCTION COMPANY, SATNA (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी / निजी)	1085/1 (सरकारी –नॉन फॉरेस्ट लेंड)	1.500 hectare.
स्थल	Village- Morwa, Tehsil & District- Chhatarpur (M.P)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के पत्र क्रमांक 6605 दिनांक 31/12/2018 के द्वारा स्वीकृत।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	ब्लास्टिंग प्रस्तावित है।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अधिकतम् उत्पादन क्षमता Metal Stone-22,315 घनमीटर/वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता Metal Stone-22,315 घनमीटर/वर्ष है।	
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें संचालित/स्वीकृत हैं, इस प्रकार कुल रकमा 07.00 है. होता है, अतः प्रकरण बी-1. श्रेणी का है।	
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 13/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जौन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।	
तहसीलदार अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2583 दिनांक 13/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय	

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत मोरबा जिला छतरपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 26/01/21 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन कार्य से पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling - Additional tree to be planted -
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.-51 के सरल क्रमांक-12 पर दर्ज है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि लीज एरिया शासकीय भूमि है जिसमें कुछ पेड़ लगे हैं तथा दक्षिण दिशा में 30 मी. पर कच्ची रोड व पश्चिम दिशा में 125 मी. पर पक्की रोड है। अतः पक्की रोड से नियमानुसार 165 मी. का सेटबेक छोड़ा जाये तथा ट्री इंवेन्ट्री प्रस्तुत की जाये। इसी प्रकार आवेदित खनन क्षेत्र में खुदा हुआ है। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का अभिमत तथा पुर्नरिक्षित सर्फेस मेप ई.आई.ए. में प्रस्तुत करें। समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर-डी में उल्लेखित मानक शर्तों व निम्न विशिष्ट शर्तों के साथ टॉर जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सड़क, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि) की खदान से दूरी दर्शाते हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोड़ते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- खदान के समीप में यदि कृषि कार्य हो रहा हो तो अतः खनन कार्य से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा खनन हेतु कृषकों की सहमति ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- ब्लास्टिंग से कितनी दूरी तक प्रभाव पड़ेगा अतः पी.पी.व्ही. स्टडी करवाकर ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- लीज एरिया की दक्षिण दिशा में 30 मी. पर कच्ची रोड व पश्चिम दिशा में 125 मी. पर पक्की रोड है। अतः पक्की रोड से नियमानुसार 165 मी. का सेटबेक छोड़ा जाये तथा ट्री इंवेन्ट्री प्रस्तुत की जाये।
- आवेदित खनन क्षेत्र में खुदा हुआ है अतः परियोजना प्रस्तावक इस संदर्भ में खनिज अधिकारी का अभिमत तथा पुर्नरिक्षित सर्फेस मेप ई.आई.ए. में प्रस्तुत करें।
- आवंटित खनन क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हैं, अतः इनकी ट्री इंवेन्ट्री ई.आई.ए के साथ प्रस्तुत की जाये ।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

7. एम सेंड प्लान्ट एवं कशर की लोकेशन सरफेस मेप में दर्शाते हुये उसका प्रभाव एवं रोकथाम के उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
8. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वार्डल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
9. यदि भू-जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें।
10. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
11. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
12. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
13. ई.आई.ए. की स्टडी के दौरान एवं फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के समय संबंधित म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को पूर्व में ही सूचित करें।
14. फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा के एकत्रीकरण के जिओ टैग फोटोग्राफ्स ई.आई.ए.रिपोर्ट में प्रस्तुत करें।
15. ई.आई.ए. प्रस्तुतीकरण के दौरान फील्ड में पर्यावरणीय मॉनिटरिंग डेटा एकत्रीकरण करने वाले सदस्य भी पर्यावरण सलाहकार की टीम के साथ उपस्थित रहें।

(ए.ए.मिश्रा)
सदस्य सचिव

(डॉ. जय प्रकाश शुक्ला)
को-चेयरमेन

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Manual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
 - f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on upstream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carried out and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
18. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - j. Minable Potential of sand mine.
 - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - l. Method of mining (Manual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of pochans and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out below the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

- v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 , Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) “from the river.....bank” shall be restricted should be followed in verbatim as the para says.
38. विगत वर्षों में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तों का पालन मध्यप्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तों का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

- o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - p. Minable Potential of sand mine.
 - q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutants in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.
42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouring.
43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 03 मई 2024

19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M. of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three years and details of total land holding of the PP in that district.
34. In case of mining on land where the land belongs to Charaghah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

- ✓roposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic. P
 - ✓tivities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed. A
 - ✓o fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered. N
 - ✓PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓omprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out. C
 - ✓Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
 - ✓Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
 - ✓PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
 - ✓Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
 - ✓Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :-

नोट 1 :- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए।

नोट 2 :- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रुचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

नोट 3 :- पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख-रेख, मृदा नर्मी को बनाये रखने हेतु मल्टिवंग जल-संरचनाओं का निर्माण, निर्दाइ-गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए।

नोट 4 :- परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है। इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिंग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये।

नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :- रोपित पौधों का मापदंड एवं अन्य कार्य

क्र.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	वैरियर जोन/ नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निर्दाइ-गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षों तक।		
4.	आवश्यकतानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, मङ्गुआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निर्दाइ-गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षों तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधों की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अंगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधों के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोडा, करंज, आम, इत्यादि।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घास प्रजातियाँ, खस घास बीजअंगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर।
---	--	---

748वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक

दिनांक 03 मई 2024

2	स्थानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फौटर
3	चौथी से पाँचवीं छठवीं पंचित हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंचित की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंचित में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटों के किनारे स्थित वृक्षों, झाड़ियों, लताओं को और घास को क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक/कृषकों से सहमति पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान
संचालन शुरू करने के पहले परियोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन क्षेत्र में कोई चतुर्वर्ष ठतममकपदह बदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे